श्री वीरेन्द्र सिंह, स०वि०स० / श्री रत्नेश सादा, स०वि०स० / श्री श्यामबाबु प्रसाद यादव, स०वि०स० एवं श्री मंजीत कुमार, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
तिलैया ढाढर परियोजना अन्तर्गत ढाढर नदी पर सोहजना बराज का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व में ही कराया जा चुका है। इस बराज में झारखण्ड के तिलैया से जलापूर्ति की व्यवस्था प्रस्तावित थी, किन्तु यह व्यवस्था अब तक सुनिश्चित नहीं हो पायी है, जिसके कारण किसानों को पूर्ण रूप से सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वर्तमान ढाढर नदी में केवल बरसात के उपलब्ध पानी से सीमित सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है, जो कि क्षेत्र की कृषि आवश्यकता के लिए अपर्याप्त है। सोहजना बराज से दो प्रमुख नहर प्रणालियाँ निकलती हैं, जिनसे कई पंचायतों के कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलता है। तिलैया से जलापूर्ति न होने के कारण इन नहरों की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है और किसानों को सिंचाई संकट का सामना करना पड़ रहा है।	वस्तुस्थिति यह है कि:- गया जिला के फतेहपुर प्रखंड में सोहजना ग्राम के पास ढाढ़र नदी पर 138 मी० लम्बे बराज का निर्माण कार्य राज्य विभाजन के पूर्व पूर्ण करा लिया गया था। उल्लेखनीय है कि तिलैया ढाढ़र अपसरण योजना में तिलैया जलाशय से 1.40 लाख एकड़ फीट पानी को नहर के माध्यम से सोहजना बराज पर ढाढ़र नदी में लाने का प्रावधान है, जिससे बिहार राज्य के गया एवं नवादा जिलों के कुल 31700 हे० में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वर्तमान में मात्र ढाढ़र नदी से प्राप्त हो रहे जल से बायें मुख्य नहर एवं इससे निस्सृत नहर प्रणालियों द्वारा 6900 हे० क्षेत्र में खरीफ सिंचाई उपलब्ध करायी जा रही है। शेष 24800 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बहाल करने हेतु झारखण्ड राज्य के तिलैया जलाशय से ढाढ़र नदी में बराज स्थल पर अतिरिक्त जल की आवश्यकता है। बिहार विभाजन के बाद तिलैया जलाशय झारखण्ड राज्य की सीमा में पड़ने के कारण दोनो राज्यों के बीच होने वाली राज्य स्तरीय बैठक में इस विषय पर कई बार चर्चायें हुई है।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि तिलैया से सोहजना बराज तक जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए तिलैया ढाढर परियोजना को पूर्ण रूप से क्रियाशील किया जाय।	वर्तमान में बिहार एवं झारखंड राज्य के बीच जल संसाधन विभाग से संबंधित लम्बित अन्तर्राज्यीय विवादित मामलों को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की आगामी बैठक की कार्यावली सूची (एजेंडा) में सम्मिलित करने का अनुरोध जल संसाधन विभाग के द्वारा जनवरी 2026 में गृह विभाग, पटना, बिहार से किया गया है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–05–12 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपि : उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–05–12 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल–03, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–05–12 / 2026 2686 पटना / दिनांक :20/5/26

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/5/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव